



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-16022026-270172
 CG-TL-E-16022026-270172

असाधारण
 EXTRAORDINARY
 भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
 PART II—Section 3—Sub-section (ii)
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2026/माघ 24, 1947

No. 731]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026/MAGHA 24, 1947

रेल मंत्रालय
 (दक्षिण मध्य रेलवे)
 अधिसूचना

सिकंदराबाद, 11 फरवरी, 2026

का.आ. 769(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् तेलगाना राज्य में जनगांव जिले के घनपुर (स्टेशन) गाँव एवं मंडल में “3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य – सिकंदराबाद – काजीपेट सेक्षन में घनपुर टीएसएस का निर्माण” के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

प्रत्येक ऐसी आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण), अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, घनपुर (स्टेशन) को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, घनपुर (स्टेशन) आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : तेलंगाना राज्य में जनगांव जिले के घनपुर(स्टेशन) गाँव एवं मंडल में जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंचना प्रदान करने के लिए 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य – सिंकंदराबाद – काजीपेट सेक्शन में घनपुर टीएसएस का निर्माण।

गाँव :: घनपुर (स्टेशन)

मंडल :: घनपुर (स्टेशन)

जिला :: जनगांव

क्र. सं.	सर्वेक्षण सं.	अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्र एकड़ गुंटा में	टाइटल का प्रकार	भूमि का प्रकार	भूमि खोने वाले का नाम और पिता / पति का नाम	क्षेत्र एकड़ गुंटा में	संरचनाएं/ पेड़ आदि यदि कोई हो तो
1	2	3	4	5	6		7
1	664	1.24½	पट्टा	शुष्क	अवृन्तुरी मल्लम्या सुपुत्र रामास्वामी	1.24½	कोई नहीं
2	665/5	0.21½	पट्टा	शुष्क	प्लॉट	0.21½	कोई नहीं
कुल					2.06		

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/GNP/20A]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 11th February, 2026

S.O. 769(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of The Special Railway Project, “Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25kV to 2x25KV to meet 3000 MT loading target – Construction of Ghanpur TSS in Secunderabad -Kazipet section” in Ghanpur(stn) Village & Mandal in Jangaon District in the state of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority(LA), namely, Revenue Divisional Officer, Ghanpur(stn) in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Revenue Divisional Officer, Ghanpur(stn) shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDEULE

Description of lands in Acquisition: For Up – Gradation work of Electric Traction System from 1x25Kv to 2x25Kv traction system to meet 3000 MT loading target- Construction of Ghanpur TSS in Secunderabad -Kazipet section in Ghanpur(stn) Village & Mandal in Jangaon District in the state of Telangana for providing National Infrastructure for a public purpose.

Village :: Ghanpur(stn)

Mandal:: Ghanpur(stn)

District :: Jangaon

S. No.	Survey No.	Area under Acquisition in Ac. Gts.	Type of Title	Type of land	Name of the land losers & Father/Husband Name	Extent in Ac. Gts.	Structures/ Trees etc., if any
1	2	3	4	5	6	7	
1	664	1.24½	Patta	Dry	Avunuri Mallaiah S/o Ramaswamy	1.24½	Nil
2	665/5	0.21½	Patta	Dry	Plots	0.21½	Nil
TOTAL						2.06	

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/GNP/20A]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II